न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), हमीरपुर।
सेशन केस न०–1507/2024
राज्य प्रति बलवीर सिंह

धारा– 138(1)(b) विद्युत अधिनियम
मु०अ०सं०–976/2021
थाना–एंटी पावर थेफ्ट,
जिला– हमीरपुर

आरोप

मैं, **संजय कुमार गोंड,** अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), हमीरपुर आप अभियुक्त बलवीर सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

यह कि दिनांक 28.06.2021 को समय करीब 11.00 बजे स्थान घरेलू परिसर ग्राम कुसमरा थाना कुरारा जिला हमीरपुर में अवर अभियन्ता नरेन्द्र सिंह पाल द्वारा अपने स्टाफ के साथ विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान आपके संयोजन को जो पूर्व में बकाये की स्थिति में विच्छेदित किया गया था। जिसको आप बिना विद्युत बिल का भुगतान किये एवं बिना विभागीय अनुमति के पुनः जोड़कर विद्युत चोरी करके विद्युत का उपभोग करते हुए पाये गये। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–18.07.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण के लिए अनुरोध किया।

दिनांक–18.07.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

18.07.2026

पत्रावली आरोप हेतु पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त बलवीर सिंह न्यायालय में उपस्थित है।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आरोप पर विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम का अपराध बनता है।

मैंने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम का अपराध कारित किये जाने में प्रथम दृष्टया आरोप बनाये जाने हेतु साक्ष्य उपलब्ध है। इस स्तर पर अभियोजन साक्ष्य की बहुत बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त बलवीर सिंह को विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम के आरोप से आरोपित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 05.08.2026 को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

दिनांक–18.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

Digitally signed by SANJAY KUMAR GOND
Date: 2026.07.18 04:37:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court